वर्गेज प्रतिवर्ष के कोटे को बढ़ा कर 39000 वैगंज प्रतिवर्ष किया जाए जिससे कि औद्योगिक इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें और दिए गए सीलिंग में कोई कटौती न की जाए। विभाग के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए गए कि राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला वैगंज प्राप्त हो सकें किन्तु अभी तक वांछित फल नहीं मिल सका है। और प्रदेश को काफी संकट का सामना औद्योगिक इकाइयों को कोयला समय पर देने में हो रहा है।

मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में तुरन्त योग्य व प्रभावी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में व्याप्त कोयले की कमी का संकट दूर हो सके।

(iii) REPORTED OPENING OF LIQUOR SHOPS IN RESIDENTIAL COLONIES OF DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने शराब की दुकानें डी एस आई डी सी के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का निश्चय किया है। यह निर्णय तो अफसोसनाक है ही, इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि यह दुकानें रिहायशी बस्तियों के बीचोबीच खोली जा रही हैं। इसका एक उदाहरण है—राजौरी गार्डन जी- 8 क्षेत्र, मायापुरी एम आई जी फ्लैटों में डी डी ए द्वारा बनाए गए सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की नई दुकान खोलना। यह सुविधाजनक केन्द्र बस्ती के बिलकुल बीच में बना हुआ है और इस प्रकार के केन्द्रों को फ्लैटों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब को रोजमर्रा की आवश्यकता मान लिया है और वह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्योंकि इस कालोनी में अधिकतर सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं और हाल में दो सौ के करीब फ्लैटों को एस्टेट आफिस ने डी डी ए से खरीदा है और सरकारी कर्मचारियों को एलाट किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डी डी ए ने नियमों का उल्लंघन करके सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की दुकान खोलने के लिए किस आधार पर अनुमति दी है।

मुझे बताया गया है कि इस सिलसिले में कालोनी के प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय प्रधान मंत्री से भी भेंट की है तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री साहनी एवं आबकारी विभाग के कार्यकारी पार्षद श्री राजेश शर्मा और डी डी ए तथा डी एस आई डी सी के संबन्धित अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया है। इस सम्बन्ध में कालोनी की महिलाओं की प्रतिनिधि संस्था "प्रगति महिला मंडल" की ओर से उपराज्यपाल, प्रधान मंत्री जी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और नेताओं को जोरदार विरोधपत्र भेजे गये हैं, जिनमें ऐसी दुकान खुलने पर महिलाओं द्वारा धरने दे कर शराब की बिक्री बन्द करवाने की बात भी कही गई है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि वहां के लोग इस दुकान के खुलने से किस प्रकार चिन्तित हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए तो वहां खरीददारी के लिए जाना भी दूभर हो जाएगा।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का कष्ट करें और शराब की दुकानों को रिहायशी बस्तियों में न खोलने का दिल्ली प्रशासन को निर्देश दें।

(iv) STATE OF HEALTH OF SHRI J. B. KRIPALANI

श्री विनायक प्रसाद यादव : (सहरसा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करता हूं :

"राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आधुनिक भारतीय राजनीति के भीष्म-पितामह श्री आचार्य बी० कृपालानी विगत कई महीनों से अस्वस्थ्य हो कर लगभग रोग शय्या पर थे। हाल में उनकी स्थिति बिगड़ कर चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गई है और विगत 28-3-79 को उन्हें अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनकी स्थिति चिन्ताजनक है। समूचे राष्ट्र का उद्विग्न मन अपने प्रतीक की ओर चला गया है और उनकी नजर अहमदाबाद के अस्पताल पर लगी है।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए उनके स्वास्थ्य की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराने की मांग करता हूं तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब दादा को दिल्ली के आल इंडिया इंस्टीट्यूट या बम्बई के अस्पताल में दाखिल करें तथा उनके इलाज की व्यवस्था राष्ट्रीय कोष से करने का ऐलान करे।

(v) OBSERVANCE OF HOLIDAY ON BIRTHDAY OF DR. B. R. AMBEDKAR

SHRI S. S. LAL (Bayana): Sir, under Rule 377 I want to raise a matter of urgent public importance. That a holiday be declared on the 14th of April every year since it is the birthday of Baba Sahib Ambedkar ji. What he has done for the down-trodden in the country and how he is adorned by these people need no emphasis. Holidays on the birthdays of all great people and saints but Baba Sahib, have been declared and is a practice with the Government of India. Baba Sahib has a following no less than any other great man of his time and stature.

(vi) REPORTED SCARCITY OF FURNANCE OIL BOMBAY REGION

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): Sir, under Rule 377 I want to raise a matter of urgent public importance. I would like to draw the attention of the Minister and the House towards the acute scarcity of the furnace oil for the last three weeks. Most of the industries in various parts of the country, particularly Bombay region, are using furnace oil as fuel. Some of the major industries like textiles, fertiliser, chemicals, etc. are having stocks just sufficient for hand-to-mouth. They have been waiting daily at the offices of the stockists anxiously for their supplies. The present position is such even one day delay in the supplies may cause the stoppage of the wheels of the industries. Thus there will be a heavy loss of production, besides shortages, lay-offs, interrupted employment, etc. I hope the hon'ble Minister might be aware of this critical situation. Therefore, Sir, I request the hon'ble Minister to clarify the position.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, for how many days still I have to wait for the reply.

MR. SPEAKER: He has sent the reply. A copy has been sent to me.

SHRI VASANT SATHE: Let me see the copy. (*Interruptions*)

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tezpur): Sir, I have given notice under Rules 377 and 193 in respect of Assam. There is shortage of wheat, rice, coal and cement. Trains are not moving. I shall start satyagraha from 12 noon tomorrow if my matter is not allowed to be moved. (*Interruptions*)

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Sir, I have also given notice under Rule 377 in respect of West Bengal plunged into complete darkness for want of electricity, kerosene, oil and coal resulting in great resentment in the minds of the people of West Bengal.

MR. SPEAKER: I will give you permission tomorrow.

(*Interruptions*)